भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 931

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

+931. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री डी. एम. कथीर आनंद:
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राज्य-वार कितनी है;
(ख) उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन का लिंग-वार वितरण कितनी है;
(ग) उच्च शिक्षा पहुंच को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा जीईआर बढ़ाने और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है;
(ङ) क्या सरकार ने देश में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार के लिए उचित कदम उठाए हैं और इसके लिए पर्याप्त धनराशि जारी की है;
(च) यदि हां, तो 4 करोड़ और उससे अधिक की आबादी वाले राज्य-वार प्राप्त जीईआर का ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार ने तमिलनाडु जैसे राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई धनराशि मंजूर की है, जिन्होंने जीईआर के उच्चतर अनुपात को हासिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 28.4 है। सकल नामांकन अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **https://www.education.gov.in/parl_ques** पर उपलब्ध है।

(ख) एआईएसएचई 2021-22 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में कुल छात्र नामांकन 4.33 करोड़ है, जिनमें से महिला छात्र नामांकन 2.07 करोड़ और पुरुष छात्र नामांकन 2.26 करोड़

है। महिला जीईआर वर्ष 2021-22 में 28.5 है, जो वर्ष 2021-22 में पुरुष जीईआर 28.3 से अधिक है। महिला जीईआर वर्ष 2017-18 से लगातार पांचवें वर्ष पुरुष जीईआर से अधिक बना हुआ है।

(ग) सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान कर रही है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइटों में उपलब्ध है:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/pm-usp-scholarships-education-loan
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://frg.ugc.ac.in
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=669&lid=825

(घ) और (ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थाएं संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य और केन्द्र देश के विद्याथयों विशेष रूप से वंचित समुदायों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं । सरकार ने उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

i. अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को खोलना: एआईएसएचई के तहत पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की संख्या वर्ष 2014-15 में 760 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1168 हो गई है और कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014-15 में 38498 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 45473 हो गई है।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों तथा अल्पसेवित क्षेत्रों सहित विद्याथयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाएं कार्यान्वित करना।
iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मानकों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देना।
iv. उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बहुत आवश्यक लोचनीयता और उचित निर्गम के साथ-साथ पुन: प्रवेश विकल्प प्रदान करना, ताकि छात्रों को अपने अधिगम के माध्यम को चुनने में सुविधा मिल सके।

v. स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों के लिए कभी भी, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना, जो कई विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है।

vi. विद्याथयों को सुविधा प्रदान करने और भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से स्थानीय भाषा/ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए, 13 भाषाओं में जेईई, एनईईटी (यूजी) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) परीक्षा आयोजित करना।

इस संबंध में, केंद्र सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के बजट आवंटन को वर्ष 2021-22 में 93,224.31 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 1,04,277.72 करोड़ रुपये वर्ष 2023-24 में 1,12,899.47 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 1,21,117.87 करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार की पहलों के परिणामस्वरूप जीईआर वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 28.4 हो गया है।

(च) सकल नामांकन अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा भाग (क) में दिया गया है।

(छ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च सकल नामांकन अनुपात वाले राज्यों को प्रावधानों जैसे अपने संस्थानों के लिए श्रेणीबद्ध स्वायत्तता, कौशल वृद्धि और अपने छात्रों की उच्च रोजगार क्षमता के लिए पाठ्यक्रमों को अनुकूलित करना, ओडीएल के लिए उनके संस्थानों का प्रत्यायन, छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के माध्यम को चुनने के लिए एकाधिक प्रवेश और निर्गम विकल्प प्रदान करना, ऑनलाइन शिक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, आदि, का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाता करती है ताकि अपने राज्यों के छात्रों को अधिक पहुंच और समावेशिता प्रदान की जा सके।

उच्चतर शिक्षा में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं। योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें योजना के तहत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की चिन्हित आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तावों का अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड के सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं। जबकि आरयूएसए के तहत तमिलनाडु के लिए 874.963 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए कुल 100 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 528.443 करोड़ रुपये था, तमिलनाडु सरकार ने पीएम-उषा के लिए समझौता ज्ञापन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

*****